प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा

सेवामें,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्रॉंक / एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / /2013–2014 दिनॉंक 15.6.13

विषयः– आर0बी0पब्लिक स्कूल गढी ठाकुर दास पट्टी पचगई आगरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्याः 2762 / 15–13–91–4(46) / 91 दिनॉंक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्याः 1916(1) / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनॉंक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक (मा0) के पत्रॉंक / सा0(1) / शिविर / एनओसी / 7153 / 2009–2010 दिनॉंक अक्टूबर 01, 2009 के आलोक में आर0बी0पब्लिक स्कूल गढी ठाकुर दास पट्टी पचगई आगरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् / बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉंग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है ता राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा

पृ0सं0/एस0टी0/एन0ओ0सी0/2301-08 /2013–2014 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1– मण्डलायुक्त, आगरा ।
2– सचिव (मा0शि0) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, आगरा।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
6– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– प्रबन्धक, आर0बी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास, पट्टी पचगई, आगरा ।
8– गार्डफाइल।

15.6.13

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा
15/6/2013

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः–शि0स0 / सी0बी0एस0ई0 / संशोधन / /2013–14 दिनांक– 02.11.13

विषयः–आर0वी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास पट्टी पचगाई, आगरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में नाम संशोधन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक–एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / 2301–08 / 2013–14 दिनांक 15.06.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आर0वी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास, पट्टी पचगाई, आगरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में नाम संशोधन करने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है, कि विद्यालय का नाम आर0बी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास पट्टी, पचगाई, आगरा के स्थान पर आर0वी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास पट्टी पचगाई, आगरा पढ़ा जाये।

भवदीय

डा0(अंजना गोयल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ0सं0–शि0स0 / सी0बी0एस0ई0 / संशोधन / 7267–74 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलायुक्त महोदय, आगरा।
2– सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग।
3– शिक्षा निदेशक,(मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, आगरा।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
6– निरीक्षक, ऑग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– प्रबन्धक, आर0वी0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी ठाकुरदास, पट्टी पचगाई, आगरा।
8– गार्ड पत्रावली।

2/11/13

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा।

02/11/2013